प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/139783/KHR/KHERI/991/CFO

दिनांक : 15-12-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स KAMLAPATI GURUPRASAD GARJAN GIRLS MAHAVIDYALAYA पता VILL NAGRA, POST NEEMGAON तहसील - MITAULI प्लाट एरिया 10760 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 2835.25 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	2	KAMLAPATI GURUPRASAD GARJAN GIRLS MAHAVIDYALAYA	

भवन का अधिभोग मेसर्स NAGRA-KHERI द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 18-12-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VINOD KUMAR SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 18-12-2024 से 18-12-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स KAMLAPATI GURUPRASAD GARJAN GIRLS MAHAVIDYALAYA NAGRA, NEEMGAON- KHERI अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स KAMLAPATI GURUPRASAD GARJAN GIRLS MAHAVIDYALAYA, NAGRA, NEEMGAON - KHERI अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : शासनादेश संख्या 18 /छ:-पु-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनाक 07 जनवरी , 2022 के अनुसार सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है जिसका निस्तारण सत्ता प्राधिकारी द्वारा कराया जाना आवेदक का दायित्व होगा, तथा विद्युत विभाग से बिजली सुरक्षा (electricity safety) प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा तथा निकास मार्ग/अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता /कार्यशीलता बनाये रखना संबंधित का दायित्व होगा, अन्यथा प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

AKSHAY RANJAN SHARMA

ES9078B00990075074DF12AAF8C0EB5964B88C91

18-12-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-12-2024

स्थान : KHERI

Bhargav

प्रबन्धक

कमलापति गुरुप्रासाद गार्जन महाविद्यालय

ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला–खीरी